अधिकारी कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली

इस प्रणाली के माध्यम से विभागीय कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार किया जाता है इसमें उनकी सेवाओं का विवरण एवं नियुक्ति, पदस्थिति, आदि सम्मिलित होती है।

इसके प्रथम मॉड्यूल में अधिकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत, शासकीय, पता आदि की जानकारी एकत्र करना प्रारंभ किया गया, जिसको सभी के द्वारा सराहा गया। जानकारी के अद्यतन सुचारू रूप से प्रारंभ है एवं आज दिनांक तक 17566 अधिकारियों/ कर्मचारियों के रिकार्ड ऑनलाईन है। जिसको विभिन्न मापदण्डों से देखा जा सकता है।

प्लान्टेशन मानिटरिंग सिस्टम (PMS)

इस प्रणाली के द्वारा वृक्षारोपण का पंजीकरण, उनकी वास्तविक भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र का विवरण, प्रजाति आदि का डेटाबेस तैयार कर वृक्षारोपण क्षेत्रों का अनुश्रवण किया जाता है।

रोपणी प्रबंधन सूचना प्रणाली

रिसर्च एवं एक्स्टेन्शन के लिए ऑनलाईन एप्लीकेशन बनाई गई, जिसमें प्रदेश की नर्सरी के स्टाक, निर्वतन एवं ग्रेड उन्नयन से संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई है। जिससे पारदर्शिता आई है एवं नर्सरी के अनुश्रवण से बहुत सहायता प्राप्त हुई है।

स्थाई ऑब्जरवेशन प्लाट

वनों में उपलब्ध वृक्ष प्रजातियों, आयतन में बढ़ोत्री तथा नए वृक्ष की उत्पत्ति को ज्ञात करने तथा वनों की आधारभूत जानकारी एकत्रित करने के लिये उपरोक्त प्लॉट लगाने का कार्य भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। वर्तमान में होशंगाबाद, बैतूल, छिन्दवाड़ा एवं सिवनी में ऐसे प्लॉट बनाये गये है। वन विभाग की वेबसाईट पर पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल का डेटा उपलब्ध है।

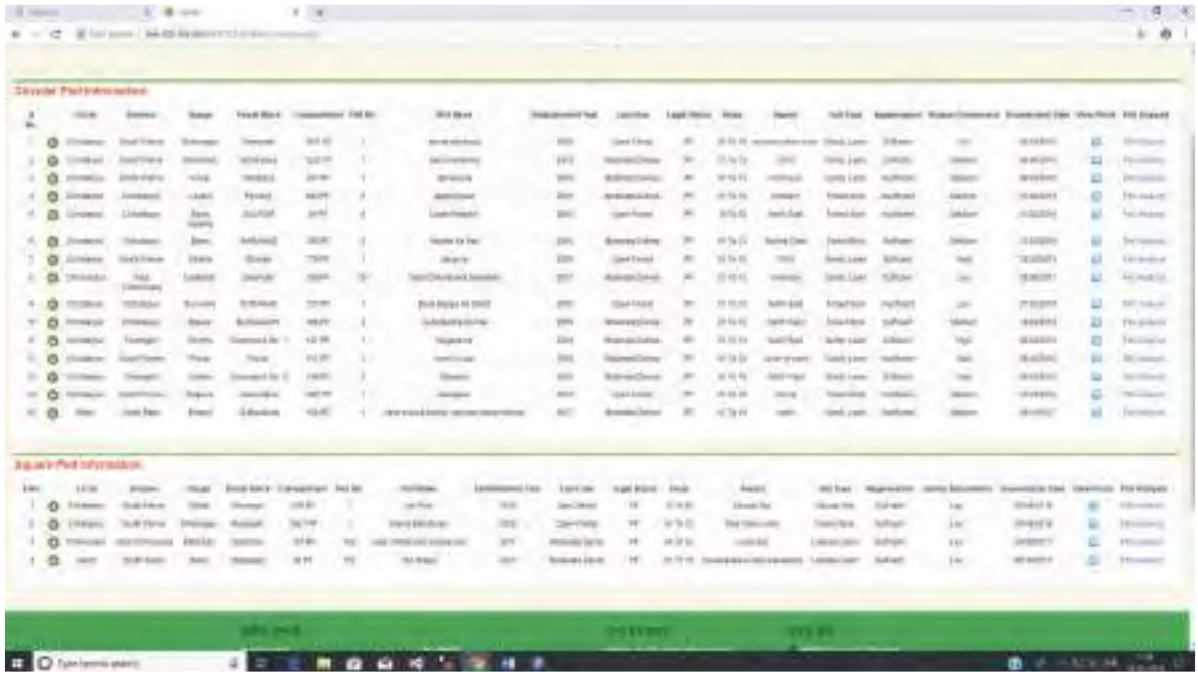

कान्ट्रेक्टर पंजीयन प्रणाली

वन विभाग के विभिन्न काष्ठागारों में काष्ठ की नीलामी प्रक्रिया को कम्प्यूटर के माध्यम से संचालित करने हेतु इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों एवं मध्यप्रदेश के समस्त विनिर्माता/ व्यापारी/ उपभोक्ता/ फुटकर विक्रेता द्वारा ऑनलाईन पंजीयन किया जाता है। क्रेताओं के द्वारा पंजीयन राशि के ऑनलाइन भुगतान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा ट्रेजरी के पेमेन्ट गेटवे का इन्ट्रीगेशन का कार्य किया गया। पंजीयन के समय उपलब्ध कराये गये आवश्यक दस्तावेजों एवं भुगतान का परीक्षण वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जाकर क्रेताओं को प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किया जाता है जिसे क्रेता इस प्रणाली में लॉग–इन कर डाउनलोड कर सकते हैं।

डिपो पंजीयन प्रबंधन प्रणाली

इस एप्लीकेशन की सहायता से डिपो द्वारा ऑनलाइन काष्ठ के डिपो रेट की प्रविष्टि, नीलाम दिनांक की प्रविष्टि, काष्ठ का मापन, ग्रेडिंग, स्टेक निर्माण, लाट निर्माण इत्यादि कार्यों को किया जाता है।

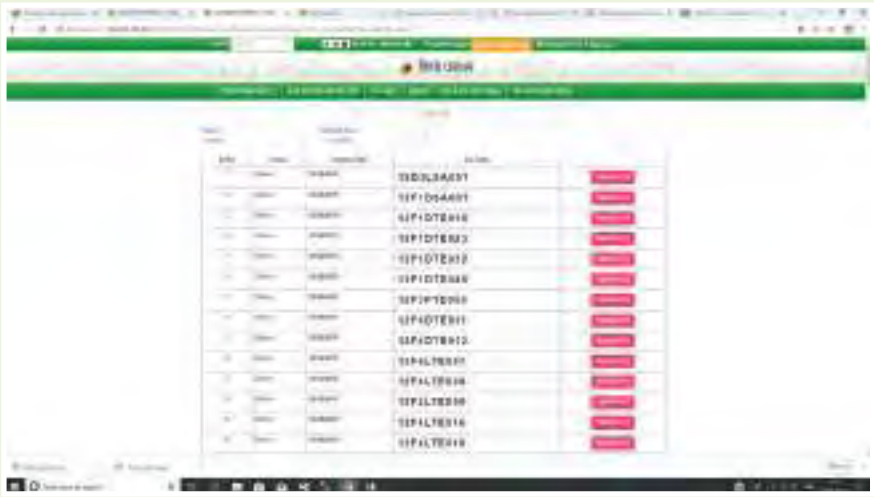

ई–ऑफिस प्रणाली :–

समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय में दिनांक 02.10.2019 से तथा जिला स्तर कार्यालय में दिनांक 01.01.2020 से ई–ऑफिस प्रणाली लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन वल्लभ भवन भोपाल द्वारा निर्देश जारी किए गए है। वन विभाग विभागाध्यक्ष कार्यालय सतपुडा भवन भोपाल में ई–ऑफिस प्रणाली लागू करने हेतु स्थानीय राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) को मुख्यालय के 291 अधिकारियो/ कर्मचारियों की मूलभूत जानकारी दिनांक 06.09.2019 को उपलब्ध कराई गई तथा प्रेषित जानकारी को ई–ऑफिस पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने की कार्यवाही दिनांक 14.09.2019 को पूर्ण की गई। इस प्रकार ई–ऑफिस प्रणाली पायलेट रूप से मुख्यालय की तीन शाखाओं–सूचना प्रौघोगिकी, ग्रीन इंडिया मिशन तथा संयुक्त वन प्रबंधन में दिनांक 16.09.2019 से लागू की गई। सभी जानकारी, डाटाबेस इत्यादि ऑनलाइन पोर्टल में ऑनबोर्डिग पूर्ण होने के उपरांत ई–ऑफिस प्रणाली मुख्यालय में लागू करने हेतु दिनांक 27.09.2019 को माननीय वन मंत्री जी महोदय द्वारा शुभारंभ किया गया साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल द्वारा शुभारंभ दिनांक से ई–ऑफिस प्रणाली लागू करने हेतु आदेश जारी किया गया। ई–ऑफिस प्रणाली लागू करने हेतु मुख्यालय की समस्त शाखाओं के लगभग 20 अधिकारियों (प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक एवं सहायक वन संरक्षक स्तर के) एवं 250 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सर्वप्रथम स्थानीय एन.आई.सी. द्वारा मुख्यालय की 05 शाखाओं के कर्मचरियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया एवं कलांतर में सूचना प्रौघोगिकी के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मुख्यालय की शेष शाखाओं के अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यालय की शाखाओं द्वारा ई–ऑफिस प्रणाली प्रशिक्षण की मांग अनुसार पुनः प्रशिक्षण सूचना प्रौघोगिकी शाखा द्वारा आयोजित किए गए है।

1.4.14 वन संरक्षण

प्रदेश के वनों पर बढ़ते जैविक दबाव, बढ़ती जनसंख्या के कारण वन उपज की मांग तथा कृषि हेतु जमीन की आवश्यकता के कारण वन क्षेत्रों में अतिक्रमण से वन एवं वनभूमि की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। अवैध कटाई एवं वन भूमि पर अतिक्रमण के निरंतर प्रयास के कारण वन अपराध धीरे–धीरे संगठित अपराध का रूप ले रहा है।

जनभागीदारी एवं क्षेत्रीय इकाईयों की सक्रियता से वन अपराधों पर नियंत्रण के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का विवरण तालिका क्रमांक–1.24 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.24

वन अपराधों का विवरण

वन अपराध प्रकरण		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	रिमार्क
अवैध कटाई के प्रकरण		54011	52613	48988	48087	54545	43808	33352	परिशिष्ट 8
अवैध चराई के प्रकरण		1031	877	933	947	916	616	613	परिशिष्ट 9
अवैध परिवहन के प्रकरण		2239	2137	1968	1631	1782	1561	1140	परिशिष्ट 10
अतिक्रमण	प्रकरण संख्या	1699	1573	1658	1483	1344	1134	1688	परिशिष्ट 11
	नवीन प्रभावित क्षेत्र (हे0)	3679	3140	2622	2105	1376	1973	3060	
अवैध उत्खनन	प्रकरण संख्या	1257	1186	986	969	1207	888	875	परिशिष्ट 12
	प्रभावित क्षेत्र (हे0)	279	659	631	2700	1497.02	3109	511	
कुल पंजीबद्ध वन अपराध		**62293**	**60411**	**56174**	**56716**	**67716**	**52909**	**48531**	**परिशिष्ट 13**
जप्त वाहनों की संख्या		1126	1295	1651	1477	1719	605	718	परिशिष्ट 14
न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण		2885	3180	3227	4009	2648	2253	1868	परिशिष्ट 15
वन अपराध में वसूल राशि (लाख में)		429.87	451.49	387.31	5379.29	4775.52	4206.01	4311.15	परिशिष्ट 16

अग्नि सुरक्षा –

अग्नि घटनाओं की सामयिक जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के सर्वे आफ इंडिया देहरादून द्वारा विकसित ''वन अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली'' (फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम) विकसित की गई है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे है। वन अपराध प्रबंधन प्रणाली में दर्ज अग्नि घटनाओं के 4739 प्रकरणों में 13951 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जानकारी परिशिष्ट – 17 पर संलग्न है।

मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 –

पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा की दृष्टि से काष्ठ के चिरान एवं व्यापार को लोकहित में विनियमन करने के लिये बनाये गये म0प्र0 काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दर्ज किये गये वन अपराध प्रकरण का विवरण तालिका क्रमांक–1.25 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक–1.25

वर्षवार दर्ज प्रकरण

वर्ष	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	रिमार्क
प्रकरण संख्या	308	184	172	91	200	138	73	परिशिष्ट 18

वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक गश्त हेतु वन चौकियों की स्थापना की गई है। वर्ष 2019 की स्थिति में 329 वन चौकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चौकी में गश्ती हेतु वाहन उपलब्ध हैं। परिक्षेत्र स्तर पर वन गश्ती एवं सुरक्षा हेतु वाहन अनुबंधित कर उपलब्ध कराये गये हैं।

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत है। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 कम्पनियां भी तैनात की गई हैं।

वर्ष 2019 में नवम्बर माह तक 48531 प्रकरणों में 5259 अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किये गये।

वन सुरक्षा में प्राणघातक हमलों की जानकारी –

राज्य में वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण अवैध वृक्ष कटाई, अवैध उत्खनन एवं अवैध शिकार आदि वन अपराधों में पेशेवर अपराधी तत्व शामिल रहते हैं, जो वन कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही में बाधा डालने में सक्षम हैं। ऐसे असामाजिक तत्व हथियारों का उपयोग भी करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में वन अपराधियों से आमना–सामना एवं मुठभेड़ होने की अनेक वारदातें होती हैं। वर्ष 2019 में वन अपराध प्रकरणों में कार्यवाही के दौरान वन कर्मियों के कर्तव्य निष्पादन के दौरान उनके उपर हमले की 16 घटनायें हुईं जिसमें 13 वन कर्मचारी घायल हुये।

वर्ष 2019 की विशिष्ट उपलब्धियॉ –

1. वर्ष 2019 में प्रदेश के वनक्षेत्र से सागौन एवं खैर वृक्षों के अवैध कटाई एवं परिवहन करने वाले अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह द्वारा खंडवा, बैतूल, देवास, उज्जैन, होशंगाबाद, हरदा जिले में सागौन एवं शिवपुरी, देवास, सागर जिले मे खैर वृक्षों की अवैध कटाई कर काष्ठ का वाहनों से परिवहन कर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश , हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में विक्रय किया जा रहा था। इन प्रकरणों में 50 से अधिक अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अपराध प्रकरणों में भारी मात्रा में अवैध सागौन एवं खैर काष्ठ के साथ कई वाहन जप्त किये गये है। इन प्रकरणों का अन्वेषण वन मण्डल एवं राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इन प्रकरणों का अन्वेषण किया जाकर गिरोह के नेटवर्क को सम्पूर्ण रूप से नष्ट करने की कार्यवाही वर्ष 2019 की एक बड़ी उपलब्धि है।

वन मण्डल सीहोर, परिक्षेत्र इछावर अंतर्गत अवैध काष्ठ परिवहन में जप्त वाहन

2. वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से वर्ष 2019–20 में कैम्पा मद में स्वीकृति प्राप्त कर 450 किराया के वाहनों की व्यवस्था कर वन सुरक्षा गश्ती कार्य सम्पन्न कराया गया। 15 ड्रोन कैमरे द्वारा संवेदनशील वन क्षेत्रो में निगरानी की जा रही है तथा 10 आधुनिक वन

उपज जॉच नाका निर्माणाधीन है। वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिये 175 वन परिक्षेत्रों में वन अग्नि रोधी किट, ब्लोअर, ब्रशवुड कटर आदि संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

वन मण्डल मुरैना, वन सुरक्षा किट का प्रदाय

जप्त अवैध काष्ठ– वन मण्डल सीहोर

प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत वन सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु अतिक्रमण क्षेत्र में कॅन्टूर ट्रेंच, वन चौकी में सुरक्षा श्रमिको की व्यवस्था, वन चौकी हेतु सुरक्षा सामग्री, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था, ड्रोन कैमरे, सुरक्षा किट (हेलमेट, बाडीगार्ड, डंडा आदि), सीसीटीव्ही, कैमरा तथा क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु आवश्यकतानुसार कम्प्युटर, प्रिन्टर आदि उपलब्ध कराये गये है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में केन्द्र प्रवर्तित योजना (फॉरेस्ट फायर एंव प्रिवेन्शन मैनेजमेन्ट योजना) के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा कार्य, वाचटावर की स्थापना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, वन सुरक्षा रोधी उपकरणों का किया गया है जिसके कारण वनो को अग्नि से सुरक्षित किया जा सका है।

3. विभागीय अपलेखित वाहन एवं वन अपराध में अंतिम रूप से राजसात वाहनों के निवर्तन में पारदर्शिता की दृष्टि से ''ई–टेंडरिंग'' की प्रकिया प्रारम्भ की गई जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 से दिसम्बर 2019 तक लगभग 590 वाहनों का विक्रय किया जाकर लगभग 1.98 करोड़ का राजस्व शासकीय खाते में जमा करवाया गया, साथ ही अन्य वाहनों की ''ई–टेंडरिंग'' के माध्यम से नीलामी की प्रकिया जारी है।

वन सुरक्षा प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इंटरनेट आधारित "वन अपराध प्रबंधन प्रणाली" (एफ.ओ.एम.एस.) विकसित की गई है। साथ ही समस्त क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी वनमण्डलों को एफ ओ सी आर पंजी के स्थान पर "वन अपराध प्रबंधन प्रणाली" (एफ.ओ.एम.एस.) पर ही प्रकरण दर्ज करने के निर्देश प्रसारित किये गये है।

वन अपराध प्रबंधन प्रणाली –

वन अपराध प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अपराधों के पंजीयन, उनकी जांच, अभिसंधान, वसूली, न्यायालय में चालान इत्यादि कार्यवाही की सतत् समीक्षा की जाती है।

1.4.15 उत्पादन

राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते हैं कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ, बांस का वन वर्धन के अनुसार विदोहन किया जाता है। साथ ही वनोपज की औद्योगिक व व्यापारिक आवश्यकताओं और वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक व्यवस्था की जाती है। विगत वर्षों में वन क्षेत्रों से काष्ठ एवं बांस के उत्पादन का विवरण तालिका क्रमांक 1.26 में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक –1.26

काष्ठ, बांस उत्पादन एवं राजस्व

विवरण	वर्ष		
	2016–17	2017–18	2018–19
ईमारती लकड़ी (घ.मी. में)	1,84,304	1,74,352	2,73,365
जलाऊ चट्टें (नग)	1,20,213	1,24,686	1,62,945
बांस (नो.टन)	33885	28,262	34,189
प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)	1016.32	1097.63	1116.29

राज्य की वर्तमान निस्तार नीति 01 जुलाई 1996 से लागू है। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है जिन्हें घरेलु उपयोग के लिये बांस छोटी ईमारती लकड़ी (बल्ली) हल, बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। इन वनोपज की पूर्ति के लिये राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित है। इसके साथ–साथ स्वयं के उपयोग के लिये वनों से सिरबोझ द्वारा गिरी पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है राज्य में 24058 बसोड़ परिवार पंजीकृत है रॉयल्टी मुक्त दर पर बांस उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे ही बेगा आदिवासियों जो कि बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं, को भी निस्तार दरों पर बांस

उपलब्ध कराने का निर्णय म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 09.09.2009 द्वारा लिया गया है। म0प्र0 शासन के पत्र क्रमांक एफ–07–02/ 2006/10–3 दिनांक 10 मार्च 2019 द्वारा पान बरेजा परिवारों को निस्तार नीति में सम्मिलित करते हुये निस्तार दर पर बांस प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के तहत विगत 3 वर्षो में प्रदाय वनोपज का विवरण तालिका क्रमांक 1.27 में दर्शित है:–

तालिका क्रमांक – 1.27

वर्षवार निस्तार प्रदाय

वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में निस्तार व्यवस्था के अर्न्तगत प्रदायित वनोपज की मात्रा एवं दर

(मात्रा लाख नग में) (राशि रूपये लाख में)

विवरण	प्रदाय निस्तार सामग्री								
	2016			2017			2018		
वनोपज का नाम	बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टे	बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टें	बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टे
मात्रा	28.48	0.57	0.50	27.62	0.44	0.44	27.04	0.38	0.45
विक्रय मूल्य	326.10	61.20	330.77	444.50	59.36	328.13	279.88	53.89	338.43
बाजार मूल्य	799.53	138.97	724.35	936.29	99.76	737.45	953.84	80.95	615.60
दी गई रियायत	944.78			942.00			978.20		

पिछले 3 वर्षों में मालिक मकबूजा काष्ठ प्रकरण संख्या, प्राप्त काष्ठ व इस हेतु आवंटित बजट की जानकारी तालिका क्रमांक 1.28 में दर्शित है:–

तालिका क्रमांक – 1.28

मालिक मकबूजा प्रकरण हेतु काष्ठ एवं आवंटन

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	प्रकरण संख्या	प्राप्त काष्ठ (घ.मी.)	आवंटन (रुपये हजार में)
1	2015–16	705	12769	316515.00
2	2016–17	428	9738	230673.00
3	2017–18	580	16790	339910.00
4	2018–19	486	13213	348000.00

तालिका क्रमांक – 1.29

प्रदेश के उत्पादन कार्यों को संपादन करने हेतु पिछले 3 वर्षों में निर्मित मानव दिवस की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	मानव दिवस (लाख में)
1	2016–17	22.6
2	2017–18	20.7
3	2018–19	24.6

काष्ठागार

काष्ठागार

1.4.16 वन्यप्राणी प्रबंधन

वन्यजीव प्रबंध –

प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं प्रबंधन वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के गठन एवं प्रबंधन के प्रावधान सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व तथा कम्यूनिटी रिजर्व बनाये जाने के भी प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत 6 अनुसूचियां है। प्रथम 5 अनुसूचियां वन्यप्राणियों को वर्गीकृत करती है तथा अनुसूची 6 में पादप प्रजातियां उल्लेखित है। अनुसूचियों में उल्लेखित प्रजातियों को संरक्षित क्षेत्र के अंदर एवं बाहर विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। शेष प्रजातियां संरक्षित क्षेत्र के भीतर होने पर ही अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधित होती है। संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध निर्जीव वस्तुयें भी वन्यजीवों के पर्यावास का भाग होने के कारण उनका विदोहन अधिनियमित है।

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र –

राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र 10989.247 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 वन्यप्राणी अभयारण्य है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, एवं संजय राष्ट्रीय उद्यानों तथा इनके निकटवर्ती 06 अभयारण्यों को समाहित कर प्रदेश में 06 टाइगर रिजर्व स्थापित है। इन 06 टाइगर रिजर्व का 5400.591 वर्ग कि.मी. बफर क्षेत्र अधिसूचित है। डिण्डौरी जिले के घुघवा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जहाँ 06 करोड़ वर्ष तक पुराने जीवाश्म संरक्षित किये गये है। धार जिले में "डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग" स्थापित किया गया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से केरवा, भोपाल में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त मुकुन्दपुर जिला सतना में व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। प्रदेश के रायसेन जिले में प्रदेश का पहला डोम आधारित बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है। बाघ, बारहसिंघा, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर एवं काला हिरण प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन्यप्राणी प्रजातियॉ है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट–19 में दी गई है। प्रदेश के कुछ संरक्षित क्षेत्रों के गठन की अंतिम अधिसूचना जारी होना शेष है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के अंतिम अधिसूचना की स्थिति परिशिष्ट–20 में संलग्न है।

वन्यप्राणी संरक्षण –

वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंध की मौलिक जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों, संरक्षित क्षेत्र एवं क्षेत्रीय वनमण्डल की है। इनकी सहायता के लिए प्रदेश में निम्न अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई है :–

- वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण में सहायता के लिए राज्य में टाइगर स्ट्राइक फोर्स कार्यरत है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में स्थित है।
- वनों के समीपस्थ बसाहटों में वनों से भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़ कर सुरक्षित रूप से अन्यत्र छोड़ने के लिये रीजनल वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वॉड की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 की गई है।
- प्रदेश में वन्यप्राणियों के विरूद्ध हुये अपराधों में कारगर अन्वेषण, अपराधियों एवं वन्यप्राणी सामग्री की खोज के लिये 16 प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड का गठन किया गया है। इससे वन्यप्राणी अपराधों का ज्ञात करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है।
- विगत दिवसों में मध्यप्रदेश वन विभाग के द्वारा वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुये म.प्र. एवं देश के अन्य राज्यों के वन्यप्राणी तस्करों तथा शिकारियों को पकड़ने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है तथा निरंतर ही इस क्षेत्र में सफलता मिल रही है। हाल ही में कछुए के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफतार किया गया है। म.प्र. वन विभाग के वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण के विशेष प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा प्रदेश के पांच स्थानों क्रमशः जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, सागर एवं सतना में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। उक्त न्यायालय STSF के द्वारा पंजीकृत अपराध प्रकरणों की सुनवाई करेगी। प्रत्येक STSF न्यायालय में ACJM स्तर के एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है।
- टाइगर रिजर्व एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के बाघ विचरण वाले क्षेत्रों में स्थित 56 परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेट्रोलिंग चौकी निर्माण तथा वाहन, वायरलेस एवं अन्य उपकरणों का प्रदाय किया गया है।
- संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज के लिए 10 पशु चिकित्सकों का पृथक कैडर कार्यरत है।
- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत एक वन्यजीव स्वास्थ्य एवं फोरेन्सिक केन्द्र वन विभाग की मदद से संचालित है।

वन्यप्राणियों की अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु –

समस्त प्रयासों के बाद भी प्रदेश में प्रति वर्ष वन्य प्राणियों के अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु के प्रकरण घटित होते हैं। विगत पांच वर्षो की प्रकरण संख्या का विवरण तालिका क्रमांक–1.30 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.30
(अवैध शिकार एवं मृत्यु प्रकरण)

वर्ष	अवैध शिकार प्रकरण	अन्य मृत्यु प्रकरण	योग
2014	347	1232	1579
2015	313	1202	1515
2016	191	914	1105
2017	263	559	822
2018	269	526	731
2019 (dt. 31.10.19)	103	168	271

उपरोक्त प्रकरणों में अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत विभिन्न वन्य प्राणियों की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक–1. 31 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.31

(अवैध शिकार एवं मृत वन्यप्राणी की संख्या)

वर्ष	अवैध शिकार से मृत वन्यप्राणियों की संख्या	अन्य कारणों से मृत वन्य प्राणियों की संख्या	योग
2014	434	1378	1812
2015	401	1251	1652
2016	171	984	1155
2017	245	611	856
2018	324	957	1281
2019 (अक्टूबर तक)	97	662	759

मानव तथा वन्यप्राणियों के बीच द्वंद कम करने के प्रयास –

➢ **वन्यप्राणियों से जन हानि होने पर राहत राशि का भुगतान :–**

उद्देश्य – वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि किये जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराना ।

पात्रता की शर्तें :– राहत राशि के भुगतान के लिए आवश्यक पात्रता की शर्ते निम्नानुसार हैः–

- जन–हानि (मृत्यु) वन्यप्राणी द्वारा हुई हो। (यहां वन्य प्राणी से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई परिभाषा से है)
- आवेदनकर्ता मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी/परिवार का सदस्य/रिश्तेदार हो।
- मृत व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि को सक्षम शासकीय चिकित्सक के प्रमाण–पत्र के आधार पर शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार 4,00,000 (रूपये चार लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।
- वर्तमान में म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से जन हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीन कार्य दिवस है।
- सांप, गुहेरा एवं जहरीले जंतु जो वन्यप्राणी की परिभाषा में आते हैं, के द्वारा जनहानि होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

विशेष – घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) को प्रस्तुत की जाना चाहिए।

➢ **वन्यप्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि का भुगतान**

उद्देश्य – वन्य प्राणियों से घायल व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध कराना ।

पात्रता की शर्तें – संबंधित व्यक्ति को किसी वन्यप्राणी द्वारा घायल किया गया हो। (वन्य प्राणी से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई परिभाषा से है)

घायल व्यक्ति को शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के

अनुसार निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि दिये जाने का प्रावधान है :–

क्र.	वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि	राहत राशि
1.	व्यक्ति की मृत्यु होने पर	4,00,000 (रूपये चार लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय
2.	स्थायी विकलांगता होने पर	2,00,000 (रूपये दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय
3.	जनघायल होने पर	इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती रहने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रूपये 500/– प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक होगी)

- सांप, गुहेरा एवं जहरीले जंतु जो वन्यप्राणी की परिभाषा में आते हैं, के द्वारा जनहानि होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार राशि उपलब्ध करवाई जाती है।
- वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से सात कार्य दिवस है।

विशेष – घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) को देना अनिवार्य है।

➢ वन्य प्राणियों से पशु–हानि एवं पशुघायल हेतु राहत राशि का भुगतान

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र – वन्य प्राणियों द्वारा घरेलू निजी पशुओं को मारे जाने पर पशु मालिकों को प्रति मवेशी आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करवायी जाती है तथा वन्यप्राणियों से पशुघायल होने पर शासन के आदेश क्रमांक/एफ 15–13/2007/10–2 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार प्रभावित लोगों को वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि हेतु देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया – सहायता पाने के लिये यह आवश्यक है कि –

- निजी पशु मारे जाने/ घायल किये जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के 48 घंटे के अंदर दी गई हो।
- मारे गये मवेशी/ पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो।

  वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से पशु हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीस कार्य दिवस है।

संपर्क – प्रकरण की सूचना मालिक द्वारा निकटतम वन अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) को दी जानी चाहिए।

➢ वन्य प्राणियों से फसल हानि का मुआवजा

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र – मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत् वर्तमान में सेवा क्रमांक 4.6 में राजस्व विभाग द्वारा वन्यप्राणियों से किसानों की फसलों को पहुंचाई जाने वाली हानि का मुआवजा 30 कार्य दिवस में दिये जाने का प्रावधान है। इसके तहत हानि का आंकलन राजस्व विभाग में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है।

संपर्क – फसल हानि की सूचना संबंधित तहसीलदार को दी जानी चाहिए।

तालिका क्रमांक–1.32

मध्यप्रदेश में वन्यप्राणियों से जनहानि, जनघायल एवं पशुहानि के कुल प्रकरण एवं मुआजवा

वर्ष	जनहानि प्रकरण	राशि (रु. में)	जनघायल प्रकरण	राशि (रु. में)	पशुहानि प्रकरण	राशि (रु. में)
2012–13	48	6335865	2906	10385572	4930	25871560
2013–14	48	6779400	2092	7807328	5232	29398705
2014–15	61	9135986	1334	6171288	4891	36619515
2015–16	52	7847885	1442	6122584	6128	41050818
2016–17	52	19855881	1308	6744239	7440	70064368
2017–18	42	16563690	1025	8427871	6488	61272840
2018–19	34	14088404	1082	6432032	5097	46114828

वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव–वन्यप्राणी द्वंद को कम करने के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार बाघों के क्रिटिकल रहवास क्षेत्रों से समस्त ग्रामों का पुनर्स्थापन आवश्यक है। शेष संरक्षित क्षेत्रों के चिन्हित ग्रामों का भी पुनर्स्थापन किया जाना प्रावधानित है। इस हेतु रूपये 10.00 लाख प्रति पुनर्वास इकाई की दर से ग्राम के पुनर्वास के लिए राशि का निर्धारण किया जाता हैं। इसके लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त हो रही है। राज्य शासन की नीति के अनुसार पुनर्स्थापन का कार्य ग्रामवासियों की सहमति के उपरांत ही किया जाता है। पर्यटन कैबिनेट के निर्णय अनुसार संरक्षित क्षेत्र के बाहर अंदरूनी वन क्षेत्र में स्थित ग्राम को भी उनकी सहमति प्राप्त होने पर अन्य पुर्नस्थापित किया जा सकता है। विगत वर्षो में पुनर्स्थापित किये गये ग्रामों की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक– 1.33 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.33

(संरक्षित क्षेत्र में पुर्नस्थापित ग्राम)

वित्तीय वर्ष	पुनर्स्थापित ग्राम संख्या
2012–13	4
2013–14	13 एवं 1 आंशिक
2014–15	17 एवं 3 आंशिक
2015–16	12 एवं 9 आंशिक
2016–17	19
2017–18	13
2018–19	12
2019–20 (प्रगतिरत)	11

वन्यप्राणियों की संख्या का आंकलन –

अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2018 के परिणाम 29 जुलाई 2019 को घोषित किये गये जिसके अनुसार मध्यप्रदेश में 526 बाघ आंकलित किये गये हैं और मध्य प्रदेश ने भारत में बाघों की संख्या के अनुसार प्रथम स्थान पर रहते हुए पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। मध्य प्रदेश में भारत के कुल आंकलित बाघों 2967 का लगभग 18 प्रतिशत पाया गया है। इसके पूर्व वर्ष 2014 के आंकलन में मध्यप्रदेश में 308 बाघ आंकलित किये गये थे। विगत वर्षों में किये गये प्रबंधकीय प्रयासों का परिणाम है कि न केवल बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है अपितु बाघों की उपस्थिति वाले वन क्षेत्रों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में प्रदेश के 714 बीटों में बाघ की उपस्थिति के चिन्ह पाये गये थे जबकि वर्ष 2018 में बाघों के चिन्ह 1432 बीटों में मिले हैं। विवरण तालिका क्रमांक–1.34 अनुसार है।

तालिका क्रमांक–1.34
(बाघों की संख्या का आंकलन)

राज्य / वर्ष	2006	2010	2014	2018
मध्यप्रदेश	300 (236–364)	257 (213–301)	308	526

मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन (MEE) –

केन्द्र शासन द्वारा भारत के टाइगर रिजर्व्स की प्रबंधकीय दक्षता के चतुर्वार्षिक आंकलन अध्ययन (MEE) के परिणामों में भी मध्य प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व–पेंच, कान्हा एवं सतपुड़ा प्रथम तीन स्थानों पर आए हैं।

गिद्ध गणना –

वन विभाग द्वारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के सहयोग से प्रदेश में पहली बार वर्ष 2016 में संकटाग्रस्त प्रजाति गिद्धों की गणना की गई थी, जिसके संकलित परिणाम वर्ष 2018 में प्राप्त हुये हैं। इसके अनुसार प्रदेश में 07 प्रजाति के लगभग 7000 गिद्ध पाये गये थे तथा वर्ष 2018–19 में भी द्वितीय प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना की गई जिसमें लगभग 8300 गिद्ध पाये गये। यह प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना संकट ग्रस्त गिद्धों के संरक्षण में भविष्य में नीव का पत्थर साबित होगी।

टाइगर रिजर्व का प्रबंध –

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V (4) (ii) के अन्तर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (कोर) एवं बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट पूर्णतः वन्यप्राणियों के उपयोग के लिए सुरक्षित है, जबकि बफर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट के चारों ओर का बहुउपयोग में लाया जाने वाला वह क्षेत्र है जो क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट की संनिष्ठता एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक है। यहॉ कोर क्षेत्र की तुलना में प्रतिबन्ध कम होते है। टाइगर रिजर्व के प्रबंध हेतु बनायी जाने वाली टाइगर कंजर्वेशन प्लान में कोर एवं बफर क्षेत्र हेतु प्रबंध निर्देशों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले कॉरिडोर क्षेत्र के बारे में भी सांकेतिक प्रावधान सम्मिलित किये जाते है। वर्तमान में प्रचलित / निर्माणाधीन टाइगर कंजर्वेशन प्लान की स्थिति परिशिष्ट–21 में है।

अन्य अभयारण्यों / राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यप्राणी प्रबंधन –

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में 10 वर्षीय प्रबंधन योजना बनाकर वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी कार्य किये जाते हैं। वर्तमान में प्रचलित / निर्माणाधीन वन्यप्राणी प्रबंध योजना की स्थिति परिशिष्ट–21 में है।

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध –

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु राज्य योजना प्रचलित है। इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध हेतु क्षेत्रीय वनमण्डलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कॉरिडोर क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिये भी इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है।

वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन –

पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय एंव पेंच टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 01.10.2017 से बफर क्षेत्रों में भी ऑन लाइन बुकिंग की सुविधा प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शिका के उपबंधों के अधीन टाइगर रिजर्व में पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित है एवं उक्त के अनुरूप टाइगर रिजर्वों के कोर क्षेत्रों में पर्यटन हेतु पर्यटक वाहन धारण क्षमता निर्धारित की गई है जो तालिका क्रमांक –1.35 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.35

क्रमांक	टाइगर रिजर्व का नाम	वाहन धारण क्षमता
1	कान्हा	178
2	बांधवगढ़	147
3	पेंच	99
4	पन्ना	85
5	सतपुड़ा	180
6	संजय	80

उक्त टाइगर रिजर्वों एवं अन्य समस्त संरक्षित क्षेत्रों में विगत वर्षो में आये पर्यटकों की संख्या तथा उनसे आय निम्न तालिका क्रमांक 1.36 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.36
(संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या)

वर्ष	पर्यटकों की संख्या (लाख में)	अर्जित आय (लाख में)
2013–14	10.9	2068.29
2014–15	10.27	2194.02
2015–16	10.23	2608.25
2016–17	10.67	2138.85
2017–18	19.64	2774.41
2018–19	20.25	3107.51

*पर्यटन वर्ष 2017–18 से नवीन मुकुन्दपुर जू, पचमढ़ी व केन घाड़ियाल अभयारण्य के पर्यटन आकड़े भी सम्मिलित किये गये है।

मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी –

मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1997 में नवाचार करते हुये मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी की स्थापना मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत की थी। यह गैर शासकीय संगठन जन सहयोग एवं अन्य संस्थानों के साथ मिलकर प्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण का कार्य करता है। विभिन्न सहयोगियों से प्राप्त होने वाले दान राशि एवं सामग्री को संरक्षित क्षेत्रों में आवश्यक विशिष्ट प्रबंधकीय जरूरतों हेतु उपलब्ध कराता है इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी जन समुदाय में वन्यप्राणी संरक्षण के प्रति जुड़ाव बढ़ाने के लिये विभिन्न अभियान आयोजित करती है।

पुरस्कार एवं मान्यता –

वन्यप्राणी संरक्षण में किये गये प्रयासों को मान्यता देते हुये विगत वर्षों में प्रदेश के वन्यप्राणी क्षेत्रों, वन्यप्राणी क्षेत्र में कार्यरत् कर्मचारियों एवं अभियानों आदि को कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुये हैं जिनमें से कुछ निम्नानुसार है :–

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत के टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन, मूल्यांकन में पुनः अपना वर्चस्व स्थापित करते हुये प्रदेश के तीन टाइगर रिजर्व पेंच, कान्हा एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आये हैं।
2. वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों पर नियंत्रण के लिये स्थापित किये गये टाइगर स्ट्राइक फोर्स के उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देते हुये उन्हें कई अवार्ड मिले हैं जिनमें पाटा–बाघ मित्र अवार्ड, आर.बी.एस. फाउंडेशन आवार्ड प्रमुख है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थ श्री रितेश सिरोठिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्लार्क बाविन अवार्ड तथा राष्ट्रीय स्तर का फतह सिंह राठौर मेमोरियल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
3. मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी द्वारा पेंगोलिन संरक्षण हेतु चलाये गये अभियान को मान्यता देते हुये इंडिया बुक ऑफ रिकार्डस ने मान्यता दी है। मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के द्वारा बाघ एवं वन्यप्राणी संरक्षण के क्षेत्र में किये गये कार्यों को मान्यता देते हुये डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इंडिया द्वारा वर्ष 2019 के "पाटा–बाघ मित्र" अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
4. मध्य प्रदेश में किये गये सक्रिय वन्यप्राणी प्रबंधन एवं श्रेष्ठ विस्थापन कार्यों के लिये क्रमशः कान्हा टाइगर रिजर्व एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

1.4.17 कार्य आयोजना

प्रदेश के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य आयोजना के अनुसार किया जाता है। कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु प्रदेश में 16 क्षेत्रीय वृत्त स्तर पर कार्य आयोजना इकाईयाँ स्थापित हैं। उन इकाइयों के नियंत्रण हेतु तीन ऑचलिक कार्यालय स्थापित किये गये हैं। विवरण तालिका क्रमांक 1.37 में दर्शित हैः–

तालिका क्रमांक 1.37
कार्य आयोजना की क्षेत्रीय इकाईयाँ

कार्य आयोजना ऑचलिक	कार्य आयोजना इकाई
भोपाल	1. भोपाल 2. बैतूल 3. होशंगाबाद 4. सागर 5. छतरपुर
इंदौर	1. इंदौर 2. खण्डवा 3. ग्वालियर 4. शिवपुरी 5. उज्जैन
जबलपुर	1. जबलपुर 2. सिवनी 3. बालाघाट 4. रीवा 5. शहडोल 6. छिन्दवाड़ा

वर्ष 2019–20 में 9 वनमंडलों की पुनरीक्षित कार्य आयोजनाओं का अनुमोदन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है,उनका विवरण तालिका क्रमांक 1.38 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.38
स्वीकृत कार्य आयोजनायें

(माह जनवरी 2020 की स्थिति में)

क्रमांक	कार्य का विवरण	संख्या	वनमंडल का नाम
1	2	3	4
1	अनुमोदित कार्य आयोजनायें	09	छतरपुर, सेधवा,दक्षिण शहडोल, शिवपुरी, झाबुआ, खरगौन, बडवानी एवं अनुपपुर

प्रदेश के पुनरीक्षणाधीन कार्य आयोजनाओं एवं पुनरीक्षण उपरांत अनुमोदन हेतु लंबित कार्य आयोजनाओं का विवरण **तालिका क्रमांक 1.39** में दर्शित है :–

तालिका क्रमांक 1.39

प्रदेश के वनमंडलों की पुनरीक्षणाधीन कार्य आयोजना अवधि

क्र.	वनमंडल	कार्य आयोजना अधिकारी	अवधि	रिमार्क
1.	2	3	4	5
2.	सीहोर	ए.के.सिंह	2020.21 से 2029.30	अनुमोदन हेतु लंबित
3.	विदिशा	पी.के. वर्मा	2019.20 से 2028.29	अनुमोदन हेतु लंबित
4.	दक्षिण बैतूल	ए.के.सिंह	2019.20 से 2028.29	अनुमोदन हेतु लंबित
5.	जबलपुर	आनन्द कुमार सिंह	2018.19 से 2027.28	अनुमोदन हेतु लंबित
6.	देवास	विभाष कुमार ठाकुर	2012.13 से 2021.22	पुनरीक्षणाधीन
7.	रतलाम	विवेक जैन	2011.12 से 2020.21	पुनरीक्षणाधीन
8.	दक्षिण छिन्दवाड़ा	शमशेर सिंह	2011.12 से 2020.21	पुनरीक्षणाधीन
9.	पूर्व मंडला	रमेश कुमार श्रीवास्तव	2010.11 से 2019.20	पुनरीक्षणाधीन
10.	श्योपुरकला	पी.के.सिंह	2010.11 से 2019.20	पुनरीक्षणाधीन
11.	उत्तर पन्ना	महेन्द्र यदुवेन्दु	2005.06 से 2019.20	पुनरीक्षणाधीन
12.	भोपाल	पी.के.सिंह	2009.10 से 2018.19	पुनरीक्षणाधीन
13.	दक्षिण सागर	कमलेश चतुर्वेदी	2009.10 से 2018.19	पुनरीक्षणाधीन
14.	सिंगरौली	अभिताभ अग्नोहोत्री	2009.10 से 2018.19	पुनरीक्षणाधीन
15.	राजगढ़	विश्वनाथ एस. होतगी	2009.10 से 2018.19	पुनरीक्षणाधीन
16.	पूर्व छिन्दवाड़ा	सतीश सिलावट	2008.09 से 2017.18	पुनरीक्षणाधीन
17.	उत्तर सागर	आनन्द कुमार	2008.09 से 2017.18	पुनरीक्षणाधीन
18.	सतना	अतुल कुमार जैन	2008.09 से 2017.18	पुनरीक्षणाधीन
19.	कूनो वन्यप्राणी	के.रमन	2010.11 से 2019.20	पुनरीक्षणाधीन

1.4.18 वन भू–अभिलेख

संरक्षित एवं आरक्षित वनों का गठन –

(क) आरक्षित वन गठित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 से 20 तक की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अतः वनभूमि अधिसूचित करने की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र को वर्तमान में वैधानिक संरक्षण देने के लिये सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन अधिसूचित किया जा रहा है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गत एक वर्ष में वनभूमि के व्यपवर्तन की जारी अनुमति के फलस्वरूप प्राप्त गैर वनभूमियों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के प्रस्ताव वर्ष 2018–19 में 94 वनखण्डों का रकबा 2313.006 हेक्टेयर की प्रारूप अधिसूचनाऐं के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

(ख) असीमांकित संरक्षित वनों, जिन्हें नारंगी क्षेत्र कहा जाता है, के सर्वेक्षण में उपयुक्त पाये गये क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

(ग) आरक्षित वनों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का व्यवस्थापन कर दिया जाता है। संरक्षित वनों में ऐसे अधिकार यथावत रहते हैं, अतः इनका अभिलेखन किया जाना आवश्यक है। वर्ष 1950 में जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात् शासन के पक्ष में वेष्ठित भूमियों को वर्ष 1958 में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का अभिलेखन किये बिना ही संरक्षित वन अधिसूचित कर दिया गया था। इन अधिकारों का अभिलेखन अभी तक लम्बित है।

वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद

वर्ष 2004 से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद (नारंगी क्षेत्र) निराकरण हेतु राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन मई 2019 में किया गया था। टॉस्क फोर्स द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है।

वन व्यवस्थापन

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रस्तावित आरक्षित वन अधिसूचित किये जाते हैं। प्रस्तावित आरक्षित वनों के वनखण्डों की धारा 6 से 19 तक की विधिक कार्यवाही करने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्तियाँ की जाती हैं। वर्ष 1988 से वन व्यवस्थापन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया। वर्ष 1988 से यह कार्य विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं होने पर वन विभाग द्वारा दिसम्बर 2003 में वन व्यवस्थापन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शी निर्देश/ प्रक्रिया संकलित कर जिलाध्यक्ष के माध्यम से समस्त वन व्यवस्थापन अधिकारियों को भेजी गई तथा उनका प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर कराया गया फिर भी वन व्यवस्थापन के कार्य में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

वर्तमान में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 में अधिसूचित 6,520 वनखण्डों की 30,04,624 हेक्टेयर भूमि के संबंध में धारा 6 से 19 तक की वन व्यवस्थापन की कार्यवाही लंबित है।

दिनांक 03.05.2012 को वन विभाग की समीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिये गये थें कि ''कई वर्षो से लंबित वन व्यवस्थापन कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये पूर्णकालिक वन व्यवस्थापन अधिकारी के पदस्थापना हेतु प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किये जाये।'' माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के पालन में टीप क्रमांक/383 दिनांक 17.05.2012 से प्रदेश के 16 वन वृत्तों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर पृथक से उप जिलाध्यक्ष स्तर के स्वतंत्र प्रभार वाले अधिकारियों को वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त करने से संबंधित कार्यवाही प्रचलित है।

मध्यप्रदेश शासन मुख्य सचिव, कार्यालय का पत्र क्रमांक–974/एफ–25–08/2015/10–3 दिनांक 01 जून 2015 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचनाओं में सम्मिलित पूर्णतः निजी स्वामित्व के भू–खण्डों को प्रस्तावित आरक्षित वन खण्ड से पृथक रखने बावत् कार्यवाही करने के निर्देश समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश को दिये गये हैं। इस संबंध में कार्या. पत्र क्र./वन भू–अभि./नारंगी/677 दिनांक 02.05.2019 से समस्त संभागायुक्त एवं समस्त कलेक्टर को स्मरण कराया गया है। वर्ष 2016 में वन व्यवस्थापन की कार्यवाही उपरांत 07 वनखण्डों का 2186.746 हेक्टेयर आरक्षित वन की अधिसूचनाऐं राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं। वर्ष 2017–18 में खरगोन, सतना, झाबुआ, इन्दौर के 144 वनखण्ड जिनका रकबा 10,886.776 हेक्टेयर जो प्रकाशन हेतु प्रेषित किये गये हैं।

(क) वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना –

मध्य प्रदेश के 29 जिलों में वन विभाग के प्रबंधन एवं नियंत्रण के 925 वनग्रामों में से वीरान, विस्थापित, अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित कुल 98 वनग्रामों को छोड़कर शेष 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण

एवं वन मंत्रालय को जनवरी 2002 से जनवरी 2004 तक की अवधि में जिलेवार प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। इन 827 वन ग्रामों में से 310 वन ग्रामों की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2002 से जनवरी 2004 के मध्य जारी की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक/337/1995 की आई. ए. क्रमांक–2 में दिनांक 13.11.2000 से निर्वनीकरण पर रोक लगाई जाने से भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की जारी स्वीकृति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.2004 द्वारा स्थगन जारी किया गया है। इस कारण शेष 517 वन ग्रामों के लिये भी स्वीकृति लम्बित है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 310 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति किये जाने में व्यवहारिक कठिनाईयाँ होने की शर्तों में एक शर्त यह भी है कि वन ग्रामों से बनाये गये राजस्व ग्रामों का प्रशासनिक नियंत्रण वन विभाग का ही रहेगा।

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–3 (1) (ज) में वनग्रामों के संपरिवर्तन के अधिकार का उल्लेख है। विधि विभाग से प्राप्त अभिमत दिनांक 12.12.2016 अनुसार वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन करने के पूर्व वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, वन की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2018 को आयोजित बैठक में दिये निर्देशानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (का.आ. एवं वन भू–अभि.) द्वारा दिनांक 07.01.2019 को भारत सरकार, वन मंत्रालय में वन महानिदेशक एवं अतिरिक्त वन महानिदेशक से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने में आ रही वैधानिक कठिनाईयों के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 25.01.2019 द्वारा लेख किया गया है कि वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2000 से वनभूमि के निर्वनीकरण पर स्थगन होने के कारण 925 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय से समुचित आदेश प्राप्त करें।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अन्य राज्यों की भाँति प्रदेश के 827 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने बावत् दिनांक 07.03.2019 को अपर मुख्य सचिव (वन) की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन (विधि विधायी कार्य विभाग) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन (राजस्व विभाग) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई जिसमें ''वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने हेतु केबिनेट टीप जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा तैयार की जावेगी'' का निर्णय लिया गया।

(ख) वर्ष 1980 के पूर्व राजस्व विभाग को हस्तांतरित वन ग्राम –

वन विभाग द्वारा वर्ष 1980 के पूर्व 662 वनग्रामों का प्रबंधन हेतु राजस्व विभाग को हस्तांतरण की अधिसूचना/ आदेश जारी किये गये, जिसमें से 02 वनग्राम छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। वर्ष 1980 के पूर्व 06 वनग्राम (02 वनग्राम जून 1978 में, 02 वनग्राम दिसम्बर 1979 में और 02 वन ग्राम सितम्बर 1986) राजसव विभाग को हस्तांतरित किये जाकर वनभूमि की भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत निर्वनीकरण की अधिसूचनाऐं जारी की जा चुकी हैं। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की मंशा से ही हस्तांतरित किया गया था।

उपरोक्त वनग्रामों में से तत्समय 533 वनग्राम वर्ष 1980 के पूर्व राजस्व विभाग को प्रबंधन हेतु हस्तांतरित किया गया, परन्तु उक्त वनग्रामों की वनभूमि के निर्वनीकरण की कार्यवाही तत्समय पूर्ण नहीं होने के कारण

इन वनग्रामों की वनभूमि का वर्तमान में वैधानिक स्वरूप वनभूमि ही है। उपरोक्त हस्तांतरित 533 वनग्रामों में से 16 वनग्रामों की हस्तांतरित वनभूमि निरंक होने एवं 01 वनग्राम अर्वीकृत वन क्षेत्र में स्थित होने से शेष 516 वनग्रामों की वनभूमि के निर्वनीकरण के प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किये गये। राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, नई दिल्ली को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वन अधि./938 दिनांक 10.08.2016 से अनुमति हेतु प्रेषित किये गये। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/थ्ण्छवण17.80ध्2017.थ्ब दिनांक 12.04.2018 से उपरोक्त वनग्रामों की वनभूमि के निर्वनीकरण की अनुमति हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने हेतु शासकीय अधिवक्ता के परामर्श अनुसार मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/12417/1/64 दिनांक 07.10.1964 के हस्तांतरित वनग्रामों की वनभूमि का निर्वनीकरण का उल्लेख होने से उपरोक्त प्रस्ताव में से 30 वनग्रामों को विलोपित करने के उपरांत शेष 486 वनग्रामों की निर्वनीकरण की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 –

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की कार्यवाही आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है और पात्र लोगों को वितरित अधिकार पत्रों से संबंधित अभिलेखों के संधारण का दायित्व वन विभाग को सौंपा गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 31.10.2019 की स्थिति में प्रदेश में व्यक्तिगत 2,29,027 वन अधिकार पत्र 3,40,348.100 हेक्टेयर वनक्षेत्र में तथा सामुदायिक 27,970 अधिकार पत्र कुल 5,92,892.600 हेक्टेयर वनक्षेत्र में वितरित किये गये हैं।

1.4.19 समन्वय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश भोपाल के अधीन प्रदेश के विभागीय कार्यो का संपादन मे समन्वय के कार्य किया जाता है।

मध्य प्रदेश लोक सेवाओ के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 का क्रियन्वयन विभाग द्वारा सफलता पूर्वक किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन आन लाईन होने के परिणामस्वरूप इसका सत्त अनुश्रवण प्रभावी रूप से किया जा रहा है। सेवा प्रदाय का विवरण तालिका क्रमांक – 1.47 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.47

मध्यप्रदेश शासन लोकसेवा प्रबंधन प्रणाली अन्तर्गत सेवा प्रदाय की स्थिति

(मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत)

दिनांक 07/08/2011 से दिनांक 09/12/2019 तक

स. क्र.	विभाग	अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निर्धारित समयसीमा में निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			निर्धारित समयसीमा के पश्चात् निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			लंबित आवेदन पत्रों की संख्या					
									समय सीमा बाह्य	जिनकी समय सीमा पूर्ण होगी				योग
			सेवा उपलब्ध कराई गई	सेवा अमान्य कर दी गई	योग	सेवा उपलब्ध कराई गई	सेवा अमान्य कर दी गई	योग		आज	2 दिनों में	3 दिनों में	3 दिनों के बाद	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	वन	150591	147732	1301	149033	1022	74	1096	19	0	3	4	436	462

अध्याय –तीन

विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम, उपक्रम व संस्थाओं का विवरण

1.5 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम

1.5.1 निगम का गठन –

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के प्रतिवेदन अनुसार Companies Act, 1956 (वर्तमान में Companies Act, 2013) के प्रावधानों के अन्तर्गत म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. की स्थापना दिनांक 24 जुलाई, 1975 को किया गया था। स्थापना के समय वन विकास निगम की अधिकृत अंश पूँजी राशि रु. 20.00 करोड़ की थी। म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसरण में दिनांक 01 अप्रैल 2001 को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि. का विभाजन, 40:60 के अनुपात में किया जाकर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. एवं म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. (क्रमशः) के मध्य किया गया। 31 अक्टूबर 2006 से निगम की अधिकृत अंशपूंजी राशि रु. 20.00 करोड़ से बढ़ाकर राशि रू. 40.00 करोड़ की गई। वर्तमान में निगम की प्रदत्त अंशपूंजी रु. 39.32 करोड़ है, जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान रु. 1.39 करोड़ एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रु. 37.93 करोड़ है।

1.5.2 निगम के वर्तमान में मुख्य उद्देश्य –

निगम के ''आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन'' के अनुसार निगम की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

1. निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य एवं बहुपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना।
2. वन उत्पादन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार एवं वृद्धि हेतु उपयुक्त वनक्षेत्रों को सघन प्रबंधन पद्धति के अन्तर्गत लाना।
3. वन क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं उगाई गई शस्य एवं वृक्षों तथा वन एवं भूमि के विकास, रखरखाव, संरक्षण, विदोहन एवं प्रबंधन हेतु निगम के अमले को भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं अन्य अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत वन विभाग के अमले के अनुरूप अधिकार प्रदत्त करना।
4. वर्तमान में वन्य जीव जंतुओं का रख रखाव अनुरक्षण, सुरक्षा एवं विकास करना।
5. प्राकृतिक, उगाये गये अथवा अन्य प्रकार से पाये गये वन उत्पादनों के विदोहन, परिवहन, विपणन एवं विक्रय आदि से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य करना।

1.5.3 निगम का संचालक मंडलः

कम्पनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद–84(1) के अनुसार समस्त संचालकों की नियुक्ति मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा की जाती है एवं उनके आज्ञानुसार पदासिन होते है। शासन द्वारा निगम के संचालन हेतु संचालक मंडल का गठन किया गया है जिसमें अधिकतम संचालक संख्या 11 के विरूद्ध वर्तमान स्थिति में 7 संचालक, शासन द्वारा मनोनीत किये गये हैं।

1.5.4 प्रशासनिक संरचना –

मुख्यालय स्तर पर	
अध्यक्ष	
उपाध्यक्ष	
प्रबंध संचालक (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	
अपर प्रबंध संचालक (वित्त एवं लेखा)	
अपर प्रबंध संचालक (प्रशासन)	
अपर प्रबंध संचालक (परि.नि.)	
अपर प्रबंध संचालक (विपणन)	
कम्पनी सचिव	
क्षेत्रीय स्तर पर	
क्षेत्रीय मुख्य महा प्रबंधक	**संभागीय प्रबंधक**
भोपाल	1. विदिशा
	2. रायसेन
	3. खण्डवा
	4. सीहोर
सिवनी	1. छिन्दवाड़ा
	2. बरघाट
	3. रामपुर–भतौड़ी
	4. लामटा
जबलपुर	1. कुण्डम
	2. उमरिया
	3. मोहगांव
	4. रीवा–सीधी

दिनांक 01.03.2020 की स्थिति में निगम के कुल स्वीकृत अमले 1300 पदो के विरूद्ध 669 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें से वन विभाग से 199 अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। निगम में वर्तमान में 631 पद रिक्त है।

1.5.5 कार्य आयोजना :

परियोजना मण्डलवार निगम की कार्य आयोजना की स्थिति का विवरण तालिका क्रमांक–1.48 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.48

Name of District	Name of Project Division	Officer who revised Working Plan	No. and date of approval from GoI	Period of Working Plan	Remark
Khandwa, Dewas & Indore	Khandwa Project Division	Shri Charan Singh, Divisional Manager Khandwa	12-6/2006(फोर) /1367 dt.18.12.17	2017-18 to 2026-27	
Sehore	Sehore Project Division, Bhopal	Shri P.C. Tamrakar, Divisional Manager Sehore	12-2/2011(फोर)/61 dated 09.01.2012	2011-2012 to 2020-21	
Vidisha & Raisen	Vidisha-Raisen Project Division	Shri Aadarsh Shrivastav, Divisional Manager Vidisha-Raisen	12-5/2006(फोर) /1365 dt.15.12.17	2017-18 to 2026-27	
Seoni	Barghat Project Division	Shri H.S. Manjhi, Divisional Manager Barghat (Seoni)	12-33/97(फोर) /155 dt.06.03.19	2018-19 to 2027-28	
Balaghat	Lamta Project Division	Shri M.B. Sirsaiya, Divisional Manager Lamta (Balaghat)	12-33/97(फोर) /89 dt.30.01.19	2018-19 to 2027-28	
Jabalpur, Katani	Kundam Project Division	Shri V.C. Meshram, Divisional Manager Kundam (Jabalpur)	12-33/97(फोर) /090 dt.30.01.19	2018-19 to 2027-28	
Mandla, Dindori	Mohgaon Project Division	Shri N.K. Maravi, Divisional Manager Mohgaon (Mandla)	12-33/97(फोर) /091 dt.30.01.19	2018-19 to 2027-28	
Rewa-Sidhi	Rewa-Sidhi Project Division	Shri H.S. Mishra, Divisional Manager Rewa-Sidhi	12-23/2001(फोर) /1368 dt. 18.12.17	2017-18 to 2026-27	
Umaria	Umaria Project Division	Shri R.N. Verma, Divisional Manager Umaria	12-32/97(फोर) /130 dt. 13.02.20	2019-20 to 2028-29	
Chhindwara	Chhindwara Project Division	Shri H. Raikwar, Divisional Manager Chhindwara	&	2019-20 to 2028-29	GOI स्तर पर लंबित
Betul	Rampur-Bhatori Project Division	Shri H. Raikwar, Divisional Manager Rampur-Bhatori (Betul)	&	2019-20 to 2028-29	कार्य आयोजना पुनरीक्षण कार्य प्रगति पर

1.5.6 गतिविधियां एवं उपलब्धियां

वन विभाग द्वारा हस्तांतरित किये गये वनक्षेत्रों में वर्ष 1975 से 2019 तक सागौन/बांस/अन्य वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण तालिका क्रमांक–1.49 निम्नानुसार हैः–

तालिका क्रमांक–1.49

क्र.	परियोजना मण्डल	कार्य क्षेत्र (हे.)	उपचारित वनक्षेत्र (हे.में)	प्रजातिवार वृक्षारोपण (हे.में)		
				सागौन	बांस	अन्य
1	खण्डवा	29,734.100	23569	22932	237	400
2	सीहोर	21,349.160	10188	9629	12	467
3	विदिशा–रायसेन	38,298.449	25554	25147	308	99
4	बरघाट	49,724.237	38362	30511	6081	1770
5	छिंदवाडा	28,104.010	22451	22052	293	106
6	लामटा	52,449.379	43687	34045	8870	772
7	रामपुर–भतौड़ी	32,521.922	38979	25906	10525	2548
8	कुण्डम	35,185.882	37315	30045	4923	2347
9	मोहगांव	66,330.090	50918	43096	6737	1085
10	रीवा–सीधी	18,914.873	9023	6374	2076	573
11	उमरिया	31,121.496	29516	25364	4001	151
	योग	**4,03,733.598**	**329562**	**275101**	**44063**	**10318**

डिपॉजिट मद के अन्तर्गत विगत 4 वर्षों तक विभिन्न संस्थानों में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि एवं वित्तपोष से 30.755 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

विगत 4 वर्षों के डिपाजिट वृक्षारोपण का परियोजना मण्डलवार का विवरण तालिका क्रमांक–1.50 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.50

पौधे–संख्या में

मंडल का नाम	संस्था का नाम	2016	2017	2018	2019
छिन्दवाड़ा	(WCL)	125,000	125,000	200,000	135,000
	(NHAI)	.	.	13,520	
	(Railway)				44,440
उमरिया	(SECL)	153,000	185,000	213,000	1,47ए,000
सीधी	(NCL)	218,000	299,750	248,500	4,30,450
	(NTPC)	25,000	30,000	25,000	
	(NTPC वी. नगर) NHAI				20,000
लामटा	(MOIL) Manganese Ore India Ltd.				
	(TAMRA) Transparency, Auction Monitoring and Resource Augmentation Malajkhand	10,000	45,000	.	3,520
	(Railway)				34,753
रामपुर भतौड़ी	(AKVN)	.	17,000	19,310	
	(NHAI)	.	.	10,880	
	(Coca cola)				2,700
विदिशा–रायसेन	(AKVN)	.	4,000	.	20,000
	(NHAI)				74,400
खंडवा	(Singhaji Taap grih)	70,000	36,200	.	28,600
	(NTPC)				
बरघाट	(NTPC)	20,000	.	10,500	6,ए664
	(NHAI)	.	.	12,400	
सीहोर	(AKVN)	.	10,000	.	2,000
योग		**6,21,000**	**7,51,950**	**7,53,110**	**9,49,527**
महायोग		**30,75,587**			

निगम के अधिपत्य के वनभूमि में डिपॉजिट मद के अन्तर्गत हैवल्स इंडिया, सामी लैब, एन.टी.पी.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्त पोष से वर्ष 2016 से 2019 तक 1491 हे. वनभूमि में सागौन, बांस एवं बीजा प्रजाति वृक्षारोपण किया गया है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक–1.51 दर्शित है।

रीवा–सीधी परियोजना मण्डल सीधी वर्ष 2019 में डिपाजिट वर्क रोपण

तालिका क्रमांक–1.51

क्र.	परियोजना मण्डल	संस्था का नाम	योजना का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र (हे.में)				
				2016	2017	2018	2019	योग
1	खण्डवा	NTPC	कार्बन सिंक	108	52	85	85	330
2	सीहोर	NTPC	कार्बन सिंक	212	97	70	81	460
		हैवल्स इंडिया	निगमित सामाजिक दायित्व	.	.	66	.	66
3	विदिशा–रायसेन	हैवल्स इंडिया	निगमित सामाजिक दायित्व	.	.	.	222	222
4	बरघाट	NTPC	कार्बन सिंक	52	34	.	.	86
5	लामटा	सामी लैब	निगमित सामाजिक दायित्व	.	.	12	12	24
6	रीवा–सीधी	NTPC	कार्बन सिंक	.	115	108	80	303
	योग			**372**	**298**	**341**	**480**	**1491**

बिगड़े वनों के सुधार के अन्तर्गत कैम्पा (एन.पी.वी.) मद के अन्तर्गत शासन से प्राप्त वित्तपोष से 7 वर्षीय योजना के अन्तर्गत विशेषज्ञ संस्था के रूप में विदिशा–रायसेन एवं खण्डवा परियोजना मण्डल में वनमण्डल से प्राप्त वनक्षेत्र में वर्ष 2019 में 1378.23 हे. में वृक्षारोपण किया गया है।

तालिका क्रमांक–1.52

वर्ष 2019 मे कैम्पा मद सें RDF क्षेत्रों में वृक्षारोपण

क्र.	परियोजना मण्डल	क्षेत्रफल (हे.में)	पौधा संख्या (लाख में)
1	खण्डवा	593	8.13
2	विदिशा–रायसेन	785	12.37
	योग –	**1378.23**	**20.50**

1.5.7 वर्ष 2019–20 में आगामी वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्य –

तालिका क्रमांक–1.53

वर्ष 2020 में रोपणियों में सागौन रूटशूट का लक्ष्य

(रूटशूट लाख में)

क्र.	परियोजना मण्डल	रोपणी का नाम	बेड संख्या	सागौन रूटशूट	आवश्यकता	अतिरिक्त (अन्य मण्डलों के लिये) रूटशूट आरक्षित
1	**2**	**3**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	खण्डवा	राजौर, नर्मदानगर	11400	65.15	41.50	23.65
2	सीहोर	मट्ठागांव	6500	32.50	32.50	.
3	विदिशा–रायसेन	पैगुआई	10000	51.55	51.55	.
4	बरघाट	ढूटी, हिर्रीसंगम	6000	31.40	6.50	24.90

5	छिंदवाड़ा	लावाघोघरी	4000	20.80	7.04	13.76
6	लामटा	कंटगा, कनकी	5500	33.00	16.17	16.83
7	रामपुर–भतोड़ी	सांपना, धपाडा	2700	17.25	1.32	15.93
8	कुण्डम	बेलकुंड	5000	28.30	15.51	12.79
9	मोहगांव	कंचनगांव	6500	34.22	20.22	14.00
10	रीवा–सीधी	जियावन	1000	5.15	10.45	–
11	उमरिया	चंदिया	5000	25.45	17.21	8.24
योग		**15**	**63600**	**344.77**	**219.97**	**130.10**

अतिरिक्त सागौन रूटशूट 130.10 लाख

तालिका क्रमांक–1.54

वर्ष 2020 में वृक्षारोपण लक्ष्य

क्र.	परियोजना मण्डल	वर्ष 2020 में प्रस्तावित सागौन रोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्र		लक्ष्य पौधा संख्या (लाख में)
		ग्रास	नेट	
1	खण्डवा	1268	1000	25
2	सीहोर	1110	880	22
3	विदिशा–रायसेन	887.201	700	17.5
4	बरघाट	519.1	260	6.5
5	लामटा	722.29	666	16.65
6	कुण्डम	694.64	550	13.75
7	मोहगांव	931.22	675.5	16.89
8	रीवा–सीधी	434	365	9.12
9	छिन्दवाड़ा	353	230	5.75
10	रामपुर–भतौड़ी	594.19	455.3	11.38
11	उमरिया	460	359	8.97
	योग	**7,973.64**	**6,140.80**	**153.52**

तालिका क्रमांक–1.55

वर्ष 2020 में डिपॉजिट वृक्षारोपण लक्ष्य

मंडल का नाम	संस्था का नाम	लक्ष्य पौधा संख्या
छिन्दवाड़ा	(WCL)	300000
उमरिया	(SECL)	300000
सीधी	(NCL)	250000
	(NTPC)	20000
लामटा	(MOIL Manganese Ore India Limited)	5000
	(TAMRA Transparency, Auction Monitoring and Resource Augmentation) Malajkhand	5000
रामपुर भतौड़ी	(AKVN)	5000
	(NHAI)	5000
बरघाट	(NTPC)	5000
	(NHAI)	5000
योग		**900000**

तालिका क्रमांक–1.56

वर्ष 2020 में बिगड़े वनों के सुधार के अन्तर्गत कैम्पा (एन.पी.वी.) मद में वृक्षारोपण

क्र.	परियोजना मण्डल	क्षेत्रफल (हे.में)	लक्ष्य पौधा संख्या (लाख में)
1	खण्डवा	620	8.95
2	सीहोर	420	5.46
3	विदिशा–रायसेन	1600	22.89
	योग	2640	37.20

1.5.8 संयुक्त वन प्रबंधन –

म.प्र. म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 16/4/1991/10–2 दिनांक 14.07.2005 के निर्देशानुसार म.प्र. राज्य वन विकास निगम को हस्तांतरित वनक्षेत्रों के प्रबंधन से प्राप्त शुद्ध लाभ में से निगम के 11 परियोजना मण्डलों की 723 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वर्ष 2006–07 से 2016–17 तक राशि रूपये 7081.91 लाख लाभांश राशि भुगतान की गई है।

तालिका क्रमांक–1.57

मण्डलवार वर्ष 2006–07 से 2016–17 तक संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वितरित करने की जानकारी

मण्डल का नाम	समितियों की संख्या	भुगतान की गई लाभांश राशि (राशि करोड़ में)
1	2	3
छिंदवाड़ा परियोजना मण्डल,	66	1,248.05
बरघाट परियोजना मण्डल,	135	1,193.13
लामटा परियोजना मण्डल,	83	478.66
मोहगाँव परियोजना मण्डल,	124	445.04
रामपुर–भतौड़ी परियोजना मण्डल,	40	342.49
कुण्डम परियोजना मण्डल,	65	268.56
उमरिया परियोजना मण्डल,	34	657.43
रीवा–सीधी परियोजना मण्डल,	25	5.62
विदिशा–रायसेन परियोजना मण्डल,	85	160.78
खण्डवा परियोजना मण्डल,	47	995.88
सीहोर परियोजना मण्डल,	19	1,286.27
Grand Total	**723**	**7,081.91**

1.5.9 निगमित सामाजिक दायित्व (CSR)

निगम द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के कर पूर्व लाभ के औसत की 2 प्रतिशत राशि से निगमित सामाजिक दायित्व के विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन।

वर्ष	व्यय राशि (लाख में)	कार्य विवरण
2016–17	50.75	स्वास्थ शिविर कौशल विकास सामुदायिक भवन निर्माण, ट्यूवेल/ हैंडपंप/ कुंआ खनन, खेलकूद सामग्री, सिलाई मशीन वितरण आदि
2017–18	144.11	
2018–19	145.44	
योग	340.30	

वर्ष	व्यय राशि (लाख में)	प्रस्तावित कार्य
2019–20	159.05	परियोजना मण्डलों में निगमित सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत कौशल उन्नयन, सिलाई मशीन वितरण एवं प्रशिक्षण, वनक्षेत्रों से लगे शासकीय विद्यालयों में डेस्क, वाटर फिल्टर, खेलकूद सामग्री, लेखन सामग्री वितरण एवं पेयजल व्यवस्था, वनक्षेत्रों से लगे हुये ग्रामों में उज्जवला योजना में पंजीकृत ग्रामीणों को गैस सिलेन्डर रीफिलिंग इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। उक्त कार्यों में लगभग 21,847 व्यक्ति लाभान्वित होना अनुमानित है।

तालिका क्रमांक–1.58

विगत चार वर्षों की राजस्व प्राप्तिः

क्रमांक	वर्ष	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रू.)
1	2016–17	225.79
2	2017–18	246.31
3	2018–19	241.04
4	2019–20	267.0 (अनुमानित)

1.5.10 लीज़ रेन्ट एवं डिविडेंड –

म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 25/11/79/10/2 दिनांक 14.11.2019 के परिपालन में वन विभाग से वन विकास निगम को हस्तांतरित वनक्षेत्र (क्रॉप–1) में स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार विदोहित काष्ठ विक्रय से प्राप्त नेट राजस्व को म.प्र. शासन को लीज़ रेन्ट के रूप में भुगतान किया जाता है। वन विकास निगम को क्राप–1 से प्राप्त राजस्व की 2 प्रतिशत राशि कमीशन के रूप में प्राप्त होती है। निगम द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग को प्रारंभ में वर्ष 2017–18 तक कुल राशि रुपये 872.25 करोड़ लीजरेंट का भुगतान/ समायोजन किया गया है।

गत 5 वर्षों में शासन को भुगतान किये गये लीज रेंट का विवरण तालिका क्रमांक–1.59 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.59

वित्तीय वर्ष	लीज़ रेंट (रू. करोड़ में)
2013.14	50.69
2014.15	60.26
2015.16	99.12
2016.17	88.06
2017.18	86.77

कार्य आयोजना में प्रावधान अनुसार वृक्षारोपण क्षेत्रों (क्रॉप–2) में वन संवर्धन कार्य के अन्तर्गत वृक्षारोपण (थिनिंग) विरलन कार्य, विदोहन/पातन से प्राप्त वनोपज का विक्रय किया जाता है। म.प्र. शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एल–17/10/2005/ब–7/चार दिनांक 19.07.2005 के अनुसार राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में क्राप–प्प से प्राप्त कर पश्चात लाभ की 20 प्रतिशत राशि से निगम द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी

पर प्रारंभ से वर्ष 2017–18 तक राज्य शासन को राशि रु. 9635 लाख तथा भारत सरकार को राशि रु. 377.18 लाख लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान किया जा चुका है।

गत 5 वर्षों में वितरित लाभांश का विवरण तालिका क्रमांक–1.60 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.60

वित्तीय वर्ष	लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान (रू. करोड में)		योग
	म.प्र. शासन	भारत सरकार	
2013–14	14.41	0.53	14.94
2014–15	12.52	0.46	12.98
2015–16	12.33	0.45	12.78
2016–17	12.14	0.44	12.58
2017–18	14.22	0.52	14.74

1.6 मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

वनोपज के संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से वर्ष 1984 में मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत हुआ। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1988 में लघु वनोपज के संग्रहण, भण्डारण एवं व्यापार से बिचौलियों को पूर्णतः समाप्त करने के लिये वास्तविक संग्रहण कर्ताओं की त्रिस्तरीय सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया। प्राथमिक स्तर पर वास्तविक संग्राहकों की सदस्यता से 1072 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, कार्यरत् है। वनोपज को राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत दो श्रेणियों में बांटा गया है। राष्ट्रीयकृत वनोपज में वर्तमान में मात्र तेन्दूपत्ता एवं कुल्लू गोंद हैं। अराष्ट्रीयकृत वनोपज जैसे हर्रा, बहेडा, लाख, अचार, महुआ, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपजों का संग्रहण विपणन करने की स्वतंत्रता है। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, राष्ट्रीयकृत वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार समितियों के माध्यम से करता है। अराष्ट्रीयकृत वनोपज के संग्रहण, विपणन में समन्वयक की भूमिका निभाता है।

1.6.1 तेंदूपत्ता –

विगत तीन वर्षों में संग्रहण एवं निर्वर्तन की जानकारी तालिका क्रमांक–1.61 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.61

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रु. प्रति मा.बो)	कुल संग्रहित मात्रा (लाख मानक बोरा में)	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रुपये में)	अग्रिम विक्रित मात्रा (लाख मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
2017	1250	23.37	292.08	23.37	1330.98
2018	2000	19.15	382.96	18.67	900.72
2019	2500	21.05	526.22	18.02	744.36

1.6.2 मुख्यमंत्री तेन्दूपत्ता संग्राहक कल्याण सहायता योजना –

म0प्र0 शासन, वन विभाग, के आदेश क्रमांक/एफ 26–1/2016/10–3 दिनांक 26 मार्च 2018 द्वारा दिनांक 01.04.2018 से से 18 से 60 वर्ष के तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु मुख्यमंत्री तेन्दूपत्ता संग्राहक कल्याण सहायता योजना के अन्तर्गत लाभांवित संग्राहक/दावेदारों की योजना अंतर्गत प्रतिपूर्ति की वर्ष 2019–20 की जानकारी निम्नानुसार तालिका क्रमांक–1.62 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.62

(दिनांक 04.02.2020 की स्थिति में)

क्रमांक	घटना	देय सहायता राशि/प्रकरण	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत राशि (लाख रू.)
1	सामान्य मृत्यु	10000	733	73.30
2	आंशिक अपंगता	20000	03	0.60
3	पूर्ण अपंगता	50000	0	0.00
4	दुर्घटना मृत्यु	200000	165	330.00
कुल योग –			**901**	**403.90**

1.6.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज का क्रय –

(I) मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल द्वारा ''न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वन उत्पाद के लिये मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद का विपणन (Mechanism for marketing of Minor Forest Produce (MFP) and development of value chain for MFP) योजना जो कि 75 प्रतिशत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय से पोषित है उसकी स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। इस परियोजना अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रमुखता से पाई जाने वाली 12 लघु वनोपज प्रजातियों – अचार गुठली, बहेड़ा, बेलगूदा, चकौड़ा बीज, हर्रा, शहद, करंज बीज, लाख कुसुम, लाख रंगीनी, महुआ बीज, नीम बीज, नागर मोथा तथा साल बीज का संग्रहण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाना है। जिसके अद्यतन निर्धारित मूल्य निम्नानुसार तालिका क्रमांक–1.63 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.63

क्रमांक	वनोपज	न्यूनतम समर्थन मूल्य
1	अचार गुठली	109/–
2	बेल गूदा	27/–
3	करंज बीज	35/–
4 (I)	लाख कुसुमी	203/–
(II)	लाख रंगीनी	130/–
5 (I)	महुआ बीज/गुल्ली	30/–
(II)	महुआ फूल	30/–
6	नीम बीज	23/–

7	साल बीज	20/–
8	शहद	195/–
9	बहेडा	17/–
10	चकोडा बीज	14/–
11	हर्रा	15/–
12	नागरमोथा	27/–

लघु वनोपज के क्रय हेतु 18 जिलो में स्थानीय बाजार हाट में स्थान निश्चित करते हुये संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जा रहे है, जहॉ पर प्लेटफार्म/शेड/भंडारण गृह का निर्माण कर लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय की व्यवस्था की जायेगी।

1.6.4 वन धन विकास केन्द्र योजना –

लघु वनोपजों के संग्राहकों के द्वारा संग्रहित वनोपजों के प्राथमिक मूल्य संवर्धन उपरान्त उनका उचित मूल्य दिलाने की अभिनव योजना है। संबंधित जिला यूनियन द्वारा उचित प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति अन्तर्गत 300 सदस्यों को एक वन विकास केन्द्र हेतु चयनित किया जावेगा। इस प्रकार एक वन धन केन्द्र में 300 संग्राहक होंगें। प्रत्येक वनधन केन्द्र हेतु ट्राईफेड द्वारा रूपये 15.00 लाख प्रशिक्षण एवं उपकरण इत्यादि हेतु प्रदाय किया जावेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ को राज्य क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। प्रथम चरण में ट्राईफेड द्वारा मध्य प्रदेश के 14 जिलों में 86 वनधन विकास केन्द्र स्वीकृत किये गये है।

(1) भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित MFP-MSP योजना के अंतर्गत वनवासियों/आदिवासियों को 12 लघु वनोपज प्रजातियों के गुणवत्ता युक्त संग्रहण हेतु 12 लघु वनोपज प्रजातियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण– अचार गुठली, बहेड़ा, बेलगूदा, हर्रा, शहद, करंज बीज, लाख कुसमी एवं रंगीनी महुआ बीज, नीम बीज, नागरमोथा, सालबीज एवं चकोड़ा के प्रशिक्षण हेतु जिला यूनियन उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, पूर्व मंडला, पश्चिम मंडला, उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, उमरिया, पूर्व छिंदवाड़ा, पश्चिम छिंदवाड़ा, दक्षिण छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, उत्तर सिवनी एवं दक्षिण सिवनी इस प्रकार कुल 10 जिलो के 16 जिला यूनियनों हेतु प्रशिक्षण कराने हेतु, संचालक, उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (म.प्र.) से 12 लघु वनोपज प्रजातियों के 129 प्रशिक्षण कराया जाना है। जिसमें अभी तक 47 प्रशिक्षण सम्पन्न कराये गये है शेष 82 प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रगति पर है।

(2) भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित MFP-MSP योजना के अंतर्गत वनवासियों/आदिवासियों को 12 लघु वनोपज प्रजातियों के गुणवत्ता युक्त संग्रहण हेतु प्रशिक्षण लघु वनोपज प्रजातियों जैसे अचार गुठली, बहेड़ा, बेलगूदा, हर्रा, शहद, करंज बीज, लाख कुसमी एवं रंगीनी, महुआ बीज, नीम बीज, नागरमोथा, सालबीज एवं चकोड़ा के प्रशिक्षण हेतु जिला यूनियन अलीराजपुर, अनुपपूर, उत्तर बैतूल, दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल, छतरपुर, धार, हरदा, इंदौर, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, रीवा, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी एवं टीकमगढ़ इस प्रकार कुल 13 जिलों के 16 जिला यूनियनों हेतु प्रशिक्षण कराने बाबत् संचालक, राज्य उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा 79 प्रशिक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। 61 प्रशिक्षण सम्पन्न कराये गये है। शेष 18 प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रगति पर है। अभी तक कुल 108 प्रशिक्षण सम्पन्न हुये है जिसमें 2075 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया हैं।

1.6.5 एकलव्य शिक्षा विकास योजना

लघु वनोपज संघ द्वारा ''एकलव्य शिक्षा विकास योजना'' नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य वनक्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे उनके होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। इस उदेश्य की पूर्ति हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाता है। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः –

(i) प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के पिछली परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक पाने वाले बच्चों को योजना का लाभ लेने की पात्रता है। पात्रता हेतु संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि विगत पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों में उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो तथा फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।

(ii) योजना में शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकों पर व्यय, छात्रावास व्यय तथा वर्ष में एक बार घर आने–जाने हेतु यात्रा व्यय दिया जाता है, तथा सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी–

- कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के विद्यार्थियों को 12,000 रुपये अधिकतम
- कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को 15,000 रुपये अधिकतम
- गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20,000 रुपये अधिकतम
- व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को 50,000 रुपये अधिकतम

1.6.6 तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक

संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। लघु वनोपज के अंतर्गत तेन्दूपत्ता के व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।

वर्तमान में शुद्ध आय का 70 प्रतिशत भाग संग्राहकों को, उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नगद भुगतान करने का प्रावधान है। शेष 30 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत भाग वनों के पुनरोत्पादन पर लगाया जा रहा है तथा 15 प्रतिशत की अवशेष राशि सहकारी समितियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी माँग अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में दी जा रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विगत तीन वर्षों की प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का विवरण निम्नानुसार तालिक क्रमांक–1.64 मे दर्शित है।

तालिक क्रमांक–1.64

वर्ष	2016	2017	2018
प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि (करोड़ में)	206.76	497.22	प्रस्तावित राशि 282.47 करोड है।

मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा मुख्य रूप से राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज तेन्दूपत्ता का व्यापार किया जाता है। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा विभिन्न योजनाओं/तेन्दूपत्ता व्यापार अन्तर्गत प्राप्त राशि के आधार पर संचालक मण्डल एवं आम सभा द्वारा पारित वर्ष 2019–20 का बजट का विवरण परिशिष्ट–22 पर संलग्न है।

1.6.7 अन्य योजनाएँ

(i) लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, (एम.एफ.पी–पार्क) बरखेड़ा पठानी

- **केन्द्र की गतिविधियाँ**

इस केन्द्र की स्थापना वर्ष 2004–2005 की गई इसकी स्थापना का सैद्वान्तिक आधार माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें वनौषधियों के मूल्य संवर्धन के उपरांत प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्माण किया जाता है। पूर्व में प्रदेश से वनौषधियों का विपणन बिना मूल्य संवर्धन के ही प्रचलन में था। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की प्रसंस्करण इकाई लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी.–पार्क), वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा **''विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड''** के अंतर्गत आयुर्वेदिक एवं हर्बल औषधियों का उत्पादन कार्य विगत 14 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। औषधियों के निर्माण हेतु ड्रग एवं कास्मेटिक्स अधिनियम 1940 के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी, मध्यप्रदेश शासन से लाइसेंस क्रमांक 25D/9/05 दिनांक 28.03.2005 लिया गया है। केन्द्र का पंजीयन कारखाना अधिनियम 1948 एवं मध्यप्रदेश कारखाना नियम 1962 के अन्तर्गत श्रम एवं उद्योग विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया है। विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड के व्यापार चिन्ह का पंजीयन भारत सरकार के व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अनुसार उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से कराया गया है। यह संस्था जिला उद्योग केन्द्र से लघु औद्योगिक इकाई के तौर पर भी पंजीकृत है। गुणवत्ता आधारित नीतियों के चलते केन्द्र को आयुष विभाग म0प्र0 शासन से GMP प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता प्रबंधन हेतु ISO एवं पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु EMS-14001 प्रमाण पत्र भी निरंतर प्राप्त होते रहे है। इस केन्द्र द्वारा उत्पादित अधिकतम उत्पादों की आपूर्ति देश के विभिन्न राज्यों के आयुष विभागों एवं अनुसंधान संस्थानों को की जाती है तथा प्रदेश में स्थापित संजीवनी केन्द्रों एवं वितरकों के माध्यम से निर्मित उत्पादों के खुदरा विपणन का कार्य किया जाता है।

- **प्रसंस्कृत औषधियों का वर्गीकरण**

इस केन्द्र को 840 प्रकार के औषधीय निर्माण लाइसेंस प्राप्त है। वर्तमान में केन्द्र द्वारा मांगानुसार 350 प्रकार की विभिन्न क्लासिकल शास्त्रोक्त–265 प्रोपराइटरी एवं पेटेन्टेड–75 एवं 09 प्रकार की पशु औषधियों, आयुर्वेदिक औषध्यिों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। केन्द्र में वनीय क्षेत्रों से संग्रहित की जाने वाली शहद के प्रसंस्करण की सुविधाएं भी उपलब्ध है।

- **विभिन्न राज्यों को औषधीय आपूर्ति**

इस केन्द्र द्वारा बढ़ती हुई बाजार–स्पर्धा के बाद भी निरंतर आय में उत्तरोत्तर वृद्वि अर्जित की जाती रही है। विगत वर्षो में मध्यप्रदेश आयुष विभाग के अलावा आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पांडुचेरी, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, असम, अरूणाचल प्रदेश, नई दिल्ली, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर एवं अंडमान एवं निकोबार इत्यादि (18–20) राज्यों को शासकीय आपूर्ति की गई है।

खुदरा विपणन– प्रदेश में स्थापित 28 संजीवनी आयुर्वेदिक केन्द्रों एवं विभिन्न जिलों के खुदरा वितरकों, दिल्ली हाट जनकपुरी के माध्यम से खुदरा विपणन का कार्य किया जाता है। केन्द्र को प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ रूपए का राजस्व खुदरा विपणन से प्राप्त होता है।

- **विशिष्ट उपलब्धियां:–**

(1) प्रदेश के वन क्षेत्रों से संग्रहित वनीय शहद का जैविक प्रमाणीकरण Scope certification Number ORG/SC/1911/003296 एवं पंजीयन क्रमांक ORG-1906-001363 प्राप्त किया गया है।

(2) वन क्षेत्रों से 2 टन शहद का संग्रहण इस वर्ष किया गया ।

(3) पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय, भोपाल के एम.डी., आयुर्वेद डाक्टर्स के लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 36 एम0डी0 आयुर्वेद डाक्टर्स ने भाग लिया।

(4) राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड (एन.एम.पी.बी) द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 16.10.2019 को आयोजित किया गया। जिसमें विभिन्न अंशधारकों जैसे–प्राथमिक लघु वनोपज प्रबंधक, संग्राहकों, किसानों, आयुर्वेदिक डाक्टर्स एवं वैद्यों ने भाग लिया।

(5) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय वन सेवा अधिकारियों हेतु प्रायोजित 2 दिवसीय औषधीय पौधो के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन दिनांक 4 से 5 नवम्बर 2019 की अवधि में किया गया जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के 17 अखिल भारतीय वन सेवा अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

(6) एम.एफ.पी–पार्क, देश की पहली सहकारी/सरकारी क्षेत्र की संस्था है जिसे चिन्हित 177 प्रकार के आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्माण के लिए विश्व स्तरीय आयुष प्रीमियम माक्र प्रमाणीकरण (प्रमाण पत्र TQC/AYUSH/0035) प्राप्त हुआ हे, जिसमें शहद एवं च्यवनप्राश भी सम्मिलित है।

(7) केन्द्र की प्रयोगशाला का National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) प्रमाणीकरण (प्रमाण पत्र TC-6989) प्राप्त किया गया है। उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त होने से उत्पादों के गुणवत्ता परीक्षण कार्यो का संपादन पेशेवर एवं व्यवसायिक तौर पर संपादित किया जा सकेगा।

- **राजस्व प्राप्तियां**

केन्द्र की गुणवत्ता आधारित नीतियों के चलते बढ़ती हुई कड़ी बाजार प्रतिस्पर्धा के बाद भी उत्पादन कार्यों एवं राजस्व प्राप्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। संस्था के कुशल संचालन एवं प्रबंधन तथा संघ मुख्यालय के अनुश्रवण का ही परिणाम है कि संस्था लाभप्रद स्थिति में बनी हुई है। यह केन्द्र शासकीय सीमाओं में रहकर आज अन्य शासकीय औषधि निर्माणकर्ता संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है। विगम 3 वर्षों राजस्व प्राप्तियों का विवरण तालिका क्रमांक–1.65 मे दर्शित है।

तालिक क्रमांक–1.65

वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19
प्राप्त राजस्व (करोड में)	38.12	21.77	48.35

(ii) अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :–

- म. प्र. राज्य में प्रचुर मात्रा में पाये जाने वाले लघु वनोपजों के संबंध में समस्त को अवगत कराना।
- लघु वनोपजों एवं औषधीय पौधों के संग्राहकों/उत्पादकों को कच्चे माल एवं उत्पादों का बाजार में महत्व से अवगत कराना।
- संग्राहकों, व्यापारियों, निर्यातकों को बाजार से जोड़ना एवं वनोपजों एवं औषधीय पौधों की गुणवत्ता की जानकारी हासिल कराना।
- लघु वनोपजों एवं औषधीय पौधों के साझेदारों के नेटवर्क को सुदृढ़ करना।

- हर्बल क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान एवं अन्य परिकल्पनात्मक गतिविधियों एवं अद्यतन जानकारी से संबंधितों को समय समय पर उपलब्ध कराना।

इस मेले का आयोजन एक वृहद् प्रकार का है जिसमें न केवल म.प्र. स्तर के लघु वनोपजों से जुड़े सहभागी भाग लेते हैं बल्कि अन्य प्रदेशों एवं अन्य देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। संबंधित सभी सहभागियों का मेले में आना एवं उन्हें समस्त आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना एक चुनौती भरा कार्य है जिस हेतु एक पूर्व निर्धारित समय सारिणी को योजनाबद्ध प्रक्रिया से लागू करना आवश्यक होता है। वर्ष 2019 में दिनांक 18 से 22.दिसंबर तक अर्न्तराट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन समारोह माननीय मंत्री, सहकारिता, संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य अतिथ्य में सम्पन्न हुआ। मेला अवधि में लगभग एक लाख लोगों ने मेले का भ्रमण किया तथा प्रतिदिन लगभग 20000 लोगों ने मेले का आनन्द उठाया। विक्रय हेतु 275 स्टाल स्थापित किये गये, चिकित्सा परामर्श हेतु ओपीडी के 23 स्टाल स्थापित किये गये, जिसमें लगभग 350 आयुर्वेदिक डॉक्टरों/ वैद्यों द्वारा निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया गया, लगभग 5000 लोगों ने निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श का लाभ लिया। मेले की कुल बिक्री लगभग 50 लाख रूपये रही। लघु वनोपजों के क्रय विक्रय हेतु क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 62 प्रकार की प्रजातियों के 03 करोड़ रूपये के 18 अनुबंध निष्पादित किये गये।

(iii) लाभांश की राशि से कराए जाने वाले कार्य

(1) वन विकास :– वर्ष 2014–15 से 2018 –19 में तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त लाभांश की राशि से वनों के विकास के अन्तर्गत अंतःस्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण के वानिकी कार्य किये गये। विवरण तालिका क्रमांक–1.66 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.66

वन विकास एवं क्षमता विकास कार्य

अन्तःस्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण				
वर्ष	उपलब्धि (EX Situ)		उपलब्धि (In Situ)	
	भौतिक (हेक्ट)	आर्थिक (लाख में)	भौतिक (हेक्ट)	आर्थिक (लाख में)
2014–15	895	339.63	864	151.12
2015–16	285	146.84	540	133.04
2016–17	0	0	100	30.4
2017–18	50	37.15	220	6.75
2018–19	2182	4184.62	0	0
योग	**3412**	**4708.24**	**1724**	**321.31**

(2) अधोसंरचना विकास :– विगत पांच वर्षों में वन क्षेत्रों के समीप के ग्रामों में अधोसंरचना विकास के कार्य स्वीकृत किये गये, विवरण तालिका क्रमांक – 1.67 मे दर्शित मे है।